

मांग संख्या .
मुख्य शीर्ष 2049

मद क्रमांक 1

8.09 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2025 के ब्याज भुगतान हेतु रुपये 97.08 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 97,08,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

8.25 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2025 के ब्याज भुगतान हेतु रुपये 41.25 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 41,25,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

8.36 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2025 के ब्याज भुगतान हेतु रुपये 62.70 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 62,70,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

8.27 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2025 के ब्याज भुगतान हेतु रुपये 62.03 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 62,03,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

8.25 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2025 के ब्याज भुगतान हेतु रुपये 41.25 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 41,25,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

8.16 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2025 के ब्याज भुगतान हेतु रुपये 40.80 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,80,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या 01
मुख्य शीर्ष 2012

मद क्रमांक 1 - 2

राज भवन में एन.आई.सी. द्वारा तीव्रगति की उपलब्ध कराई गई ब्राण्डबैंड लाईन के तहत सूचना प्रौद्योगिकी के क्रियान्वयन के लिये प्रौद्योगिकी मद का प्रतिस्थापन किया जाकर कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण के लिये कुल राशि रुपये 7.00 लाख के व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2013

मद क्रमांक 3

माननीय मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद में आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम राशि रुपये 5.00 करोड़ के समायोजन सहित रुपये 11.17 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,17,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2015

मद क्रमांक 4 - 10

राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत स्थानीय निकायों के उत्तरार्ध चुनाव के संपादन एवं पूर्वाह्न चुनाव से संबंधित लंबित देयकों के भुगतान हेतु वर्ष 2015-16 में पेट्रोल तेल, मुद्रण एवं प्रकाशन, मानदेय, परिवहन व्यवस्था, विज्ञापन एवं प्रचार, अन्य प्रभार एवं मशीन एवं संयंत्र आदि मदों में राशि

रुपये 11.50 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2051

मद क्रमांक 11

राज्य लोक सेवा आयोग हेतु वर्ष 2015-16 के दौरान डाक तार मद में राशि रुपये 2.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2055

मद क्रमांक 12

सी.आई.डी. (इकानामिक आफेंसेस) को वर्ष 2015-16 के दौरान अभिभाषकों की फीस के भुगतान हेतु रुपये 2.00 लाख के अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2070

मद क्रमांक 13 - 15

मध्यप्रदेश लोकायुक्त संगठन हेतु वर्ष 2015-16 के दौरान पारितोषक, लेखन सामग्री एवं परिवहन व्यवस्था मद में रुपये 14.60 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 14,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 03

मुख्य शीर्ष 2055

मद क्रमांक 1 - 3

केन्द्रीयकृत पुलिस कॉल सेंटर एवं नियंत्रण कक्ष के अंतर्गत बिजली एवं जल प्रभार, पेट्रोल तेल आदि एवं विज्ञापन तथा प्रचार मद में राशि रुपये 300 का प्रतीक प्रावधान किया जाकर राशि की व्यवस्था बचत के माध्यम से की जानी है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2070

मद क्रमांक 4

होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा के अंतर्गत मकान किराया मद में वर्ष के दौरान राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाकर राशि की व्यवस्था बचत से की जानी है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5 - 7

होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल (एस.डी.ई.आ.एफ.) के अंतर्गत सफाई व्यवस्था, वर्दियां एवं मकान किराया मद में वर्ष के दौरान राशि रुपये 300 का प्रतीक प्रावधान किया जाकर राशि की व्यवस्था बचत के माध्यम से की जानी है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4055

मद क्रमांक 8

व्यावसायिक एवं सुरक्षा संबंधी आकस्मिक कार्यों के संपादन हेतु ईस्ट किडवर्ड नगर, दिल्ली में दो आवासीय फ्लेट क्रय हेतु भूमि एवं भवनों का क्रय/अधिग्रहण मद में राशि रुपये 90.00 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 90,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 05
मुख्य शीर्ष 2056

मद क्रमांक 1

केन्द्रीय तथा जिला जेलों में वर्ष 2015-16 के दौरान सामग्री एवं प्रतिपूर्ति मद में राशन का मूल्य एवं भोजन हेतु राशि रुपये 13.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 06
मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 1

राज्य शासन द्वारा ऐसे विद्यार्थी जिनके द्वारा बैंक से उच्च शिक्षा हेतु ऋण प्राप्त किया गया है और शिक्षा के दौरान अथवा शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत ऋण चुकाने की अवधि के दौरान असामयिक मृत्यु अथवा स्थाई अपंगता होने के कारण ऋण एवं उस पर देय ब्याज का भार आने के कारण ऋण से निपटान हेतु राज्य शासन द्वारा नवीन योजना स्वीकृत की गई है। इस हेतु राशि रुपये 25.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2054

मद क्रमांक 2

संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा प्रकोष्ठ भोपाल में आवंटित कार्यालय स्थल की मरम्मत कार्य हेतु राशि रुपये 39.56 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 39,56,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2070

मद क्रमांक 3

मुम्बई स्थित दी पी.आई. कम्पनी के द्वारा एडवर्ड विला भवन के संधारण व्यय की प्रतिपूर्ति एवं अतिथि गृह के संचालन हेतु राशि रुपये 2.50 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 10
मुख्य शीर्ष 2406

मद क्रमांक 1 - 2

वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत व्यापवर्तित वन भूमि से वनोपज का विदोहन मद में राशि रुपये 1.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

मालिक मकबुजा लकड़ी का क्रय मद में राशि रुपये 29.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 29,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4 - 7

इमारती लकड़ी का राजकीय व्यापार मद में राशि रुपये 24.47 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 24,47,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

वनोपज निकासी मार्ग का संधारण मद में राशि रुपये 2.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

वनक्षेत्रों में सार्वजनिक मार्गों का संधारण मद में राशि रुपये 6.28 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,28,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

वनक्षेत्रों में पेट्रोलिंग मार्गों का संधारण मद में राशि रुपये 2.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 13

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 1 - 5

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हेतु राशि रुपये 180.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अंतर्गत ट्रेक्टर एवं कृषि उपकरणों पर अनुदान हेतु राशि रुपये 2290.27 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 22,90,27,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित कस्टम हाईरिंग सेन्टर की स्थापना पर अनुदान हेतु राशि रुपये 1018.88 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,18,88,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 14

मुख्य शीर्ष 2403

मद क्रमांक 1 - 2

पशुपालन विभाग के अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य एवं पशु रोग के अंतर्गत लघु निर्माण कार्य एवं दवाईयों के क्रय हेतु राशि रुपये 348.33 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,48,33,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

पशुपालन विभाग के अंतर्गत मशीने एवं संयंत्र हेतु राशि रुपये 820.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 15

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों के मान से पेंशन राशि के भुगतान हेतु

अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 2508.82 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,08,82,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 16
मुख्य शीर्ष 2405

मद क्रमांक 1 - 3

मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग के अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु राशि रुपये 663.32 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,63,32,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 17
मुख्य शीर्ष 2425

मद क्रमांक 1

सहकारिता विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन प्राधिकारी के अंतर्गत अभिभाषकों की फीस हेतु राशि रुपये 5.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

सहकारिता विभाग के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों के अल्पकालीन ऋण का मध्यकालीन ऋण में परिवर्तन पर ब्याज अनुदान हेतु राशि रुपये 5840.84 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 58,40,84,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 18
मुख्य शीर्ष 2230

मद क्रमांक 1 - 4

श्रम न्यायालय के अंतर्गत वर्ष 2015-16 के दौरान वेतन, महंगाई भत्ता, एवं न्यायिक सेवा हेतु वेतन एवं महंगाई भत्ते मद में कुल राशि रुपये 1.70 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,70,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 22
मुख्य शीर्ष 2059

मद क्रमांक 1

वाहन प्रतिस्थापन हेतु राशि रुपये 14.90 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है। इस हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2217

मद क्रमांक 2 - 3

मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता कार्यक्रम अंतर्गत परामर्श सेवायें एवं विशेष सेवाओं के लिये मानदेय हेतु राशि रुपये 1.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4 - 5

मुख्यमंत्री शहरी पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत परामर्श सेवायें एवं विशेष सेवाओं के लिये मानदेय हेतु राशि रुपये 1.50 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6 - 8

मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास कार्यक्रम अंतर्गत परामर्श सेवायें एवं विशेष सेवाओं के लिये मानदेय हेतु राशि रुपये 2.50 करोड़ एवं ऋण के व्याज भुगतान हेतु रुपये 1,08,06,500 का राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है। कुल राशि रुपये 3,58,06,500 की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति सहित राशि रुपये 3,58,06,500 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

मुख्यमंत्री शहरी स्वरोजगार योजना अंतर्गत अनुदान हेतु राशि रुपये 5.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

मुख्यमंत्री शहरी गरीबों के लिये आर्थिक कल्याण योजना अंतर्गत अनुदान हेतु राशि रुपये 5.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना अंतर्गत राशि रुपये 177.99 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,77,99,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

म.प्र. अर्बन सेनीटेशन एण्ड इनवायरमेंट सेक्टर प्रोग्राम (एम.पी.यू.ई.एस.पी.) योजना अंतर्गत अनुदान हेतु राशि रुपये 5.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13

एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.) अंतर्गत परामर्श सेवाओं के लिये राशि रुपये 10.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 14

म.प्र. अर्बन डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट योजना अंतर्गत अनुदान हेतु राशि रुपये 5.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	23
मुख्य शीर्ष	2700

मद क्रमांक 1

चंबल परियोजना अंतर्गत रुपये 100.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

अपर बैनगंगा परियोजना अंतर्गत रुपये 50.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

थावर परियोजना अंतर्गत रुपये 20.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

कोलार परियोजना अंतर्गत रुपये 50.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2701

मद क्रमांक 5

मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत रुपये 2.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4700

मद क्रमांक 6

बाण सागर परियोजना यूनिट-1 के अंतर्गत रुपये 5.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

बाण सागर परियोजना यूनिट-2 के अंतर्गत रुपये 25.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

बारना परियोजना अंतर्गत रुपये 15.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

पेंच प्रत्यावर्तन परियोजना अंतर्गत रुपये 125.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 125,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

भानपुरा नहर परियोजना अंतर्गत रुपये 20.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

बानसुजारा परियोजना अंतर्गत रुपये 50.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

मोहनपुरा परियोजना अंतर्गत रुपये 50.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13

गुलाब सागर (महान) परियोजना द्वितीय चरण अंतर्गत रुपये 15.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 14

चोरल मध्यम परियोजना जिला इंदौर की नवीन परियोजना में रुपये 563.27 लाख का व्यय अनुमानित है। आवश्यक राशि की व्यवस्था उपलब्ध बजट से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 15

मकरोदा रामपुर मध्यम परियोजना भी नवीन परियोजना में रुपये 3497.67 लाख का व्यय अनुमानित है। आवश्यक राशि की व्यवस्था उपलब्ध बजट से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 24
मुख्य शीर्ष 3054

मद क्रमांक 1

राजकीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत-साधारण मरम्मतमें राशि रुपये 100.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 2

मुख्य जिला मार्गों के उन्नयन के अंतर्गत निर्मांकित 4 सड़क कार्य राशि रुपये 91.52 करोड़ की लागत से कराये जाना प्रस्तावित है:-

क्र.	जिला	मार्ग का नाम	मार्ग की लं. (कि.मी.)	लागत (लाख में)	अनुदान राशि (रुपये में)
------	------	--------------	--------------------------	-------------------	----------------------------

1.	सतना	कृपालपुर रामस्थान बाबूपुर मार्ग	14.44	2725.03	100
2.	रीवा	मउगंज कमर्जी मार्ग का उन्नयन	10.20	1895.58	100
3.	होशंगाबाद	शोभापुर खेरी तारोन कला मार्ग	14.00	2738.57	100
4.	जबलपुर	सीहोरा गौरहा खडरा मार्ग	12.00	1793.08	100

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

निर्मांकित 27 ग्रामीण सड़क कार्यों का कार्य रुपये 7437.40 लाख की लागत से किया जाना प्रस्तावित है:-

क्र.	जिला	मार्ग का नाम	लंबाई (कि.मी.)	लागत (लाख में)	अनुदान राशि (रुपये में)
------	------	--------------	-------------------	-------------------	----------------------------

1.	रतलाम	सरवन ग्राम में सीमेंट कांक्रीट मार्ग का निर्माण	1.30	148.27	100
2.	रतलाम	सरवन से डागराघाटी मार्ग	2.30	124.59	100
3.	रतलाम	बोरदा से गुड़भेली मार्ग	2.00	92.79	100
4.	रतलाम	सेमलखेड़ा सकरावदा मार्ग	2.30	128.09	100
5.	रतलाम	कोटड़ा घबाईखेड़ी मार्ग	2.10	96.91	100
6.	रतलाम	शिवगढ़ से अजीतपुर एवं सोनगढ़ मार्ग	4.00	209.84	100

7.	रतलाम	सरवड़ से मोतीपुरा व्हाया कुण्डाल मार्ग	11.20	768.68	100
8.	रतलाम	लालगुवाड़ी से रानीसिंग मार्ग	4.50	361.18	100
9.	रतलाम	बल्लीखेड़ा से अम्बापाड़ा मार्ग	3.65	227.72	100
10.	रतलाम	हालीबाड़ा चरपोटा चिकली पंटा मार्ग	2.35	152.65	100
11.	रतलाम	बिलपांक से दन्तोड़िया प्रीतमनगर मार्ग	7.80	542.48	100
12.	रतलाम	धराड़ से नौगांवा रेल्वे स्टेशन मार्ग	5.40	383.33	100
13.	रतलाम	ढिकवा से बड़गांवा मार्ग	3.00	176.12	100
14.	रतलाम	बेरछा से ढिकवा मार्ग	4.00	327.55	100
15.	रतलाम	घराड़ से शिवपुर रास्ते फेल तक मार्ग	4.40	316.55	100
16.	रतलाम	रामनगर से रूपाखेड़ा मार्ग	1.30	68.30	100
17.	रतलाम	ईटावामाताजी से फोरलेन मांगरोल फंटा मार्ग	2.00	118.32	100
18.	रतलाम	लुनेरा से राजपुर मार्ग	4.10	290.85	100
19.	रतलाम	बांगरोद से धौंसवास मार्ग	4.50	352.82	100
20.	रतलाम	धामनोद नगर आंतरिक मार्ग	2.30	406.51	100
21.	रतलाम	उकाला से सालाखेड़ी मार्ग	1.30	184.16	100
22.	रतलाम	धराड़ से इटावामाताजी मार्ग	3.00	221.69	100
23.	शिवपुरी	रघुनाथराव दिनकर मार्ग का सी.सी. निर्माण	1.25	153.09	100
24.	शिवपुरी	व्ही.आई.पी. रोड़ सीवर लाईन से ध्वस्त मार्ग का सी.सी. मार्ग निर्माण	0.65	125.10	100
25.	शिवपुरी	नवाब साहब पहुंच मार्ग सीवर लाईन से ध्वस्त मार्ग का सी.सी. मार्ग पुननिर्माण	0.80	128.40	100
26.	रतलाम	बिरमावल से रेनमऊ फण्टा मार्ग	9.00	854.26	100
27.	झाबुआ	पिटोल (होटल प्रेमछाया) से मलवन मार्ग	5.92	477.15	100

योग 96.42 7437.40 2700

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2700 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा बी.ओ.टी. सामान्य अनुबंध अंतर्गत सड़कों का निर्माण/उन्नयन /विकास किया जाना है। इस हेतु राशि रुपये 200.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

बी.ओ.टी मार्गों का विकास व पर्यवेक्षण हेतु राशि रुपये 69.22 करोड़ के अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 69,22,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 25
मुख्य शीर्ष 2853

मद क्रमांक 1

विशेष सेवाओं के लिये मानदेय हेतु राशि रुपये 95.68 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 95,68,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां अंतर्गत अन्य आकस्मिक व्यय हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

समस्त मुख्य खनिजों को नीलाम किये जाने के अंतर्गत विभागीय खनिज अन्वेषण कार्यक्रम के साथ-साथ बाह्य स्त्रोतों के माध्यम से खनिजों का पूर्वेक्षण कराये जाने हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	26
मुख्य शीर्ष	2205

मद क्रमांक 1

भारत भवन के कर्मचारियों के वेतन भत्ते मद (प्रशासनिक व्यवस्था) हेतु राशि रुपये 1.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

भारत भवन के विकास अनुदान अंतर्गत कार्यों हेतु राशि रुपये 30.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

10वां विश्व हिन्दी सम्मेलन में स्थानीय आयोजन व्यवस्थाओं हेतु राशि रुपये 9,01,01,200 की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,01,01,200 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	27
मुख्य शीर्ष	2202

मद क्रमांक 1 - 2

भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के अंतर्गत उपकरणों के क्रय एवं सामग्री पूर्ति हेतु राशि रुपये 96.70 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 96,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3 - 5

भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत राज्य शिक्षा केन्द्र योजना में उपकरणों के क्रय हेतु राशि रुपये 5.00 लाख, परीक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु रुपये 22.89 लाख एवं अन्य प्रभार मद में राशि रुपये 4.67 लाख कुल राशि रुपये 32.56 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 32,56,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

राज्य शिक्षा केन्द्र अंतर्गत कार्यक्रम एवं गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना (75-25) के अंतर्गत प्राप्त सहायता राशि रुपये 58.41 लाख एवं राज्यांश राशि रुपये 19.47 लाख कुल राशि रुपये 77.88 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 77,88,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	4202
-------------	------

मद क्रमांक 7

भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के अंतर्गत निर्माण कार्यों के लिये कुल राशि रुपये 1102.43 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,02,43,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत सी.टी.ई. एवं आई.ए.एस.ई. भवनों के निर्माण कार्य के लिये भारत सरकार से वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में प्राप्त राशि के लिये केन्द्रांश राशि रुपये 63.45 लाख एवं राज्यांश राशि रुपये 21.15 लाख कुल राशि रुपये 84.60 लाख का प्रावधान शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 84,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 28
मुख्य शीर्ष 2011

मद क्रमांक 1

माननीय श्री सत्यदेव कटारे नेता प्रतिपक्ष म.प्र. विधान सभा द्वारा देश के बाहर चिकित्सा परीक्षण/उपचार हेतु राशि रुपये 1,67,00,000 का अग्रिम राज्य की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 1,67,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक हेतु रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाकर राशि की व्यवस्था बचत के माध्यम से की जानी है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 29
मुख्य शीर्ष 2014

मद क्रमांक 1 - 10

न्याय प्रशासन उच्च न्यायालय के अंतर्गत ग्रेड पे, मजदूरी, डाक एवं तार व्यय, दूरभाष व्यय, कार्यालय फर्नीचर का क्रय, बिजली एवं जल प्रभार, अन्य आकस्मिक व्यय, शासकीय आवासों पर पानी तथा बिजली आदि हेतु वर्ष 2015-16 के दौरान राशि रुपये 8.58 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,58,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 11

अधिवक्ता कल्याण स्कीम 2012 के अंतर्गत अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ संचालित योजना अंतर्गत राशि रुपये 2.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 31
मुख्य शीर्ष 3451

मद क्रमांक 1 - 3

राज्य योजना मंडल अंतर्गत वेतन मद में चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, मजदूरी एवं अखिल भारतीय सेवा मद में चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 7.10 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,10,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 34
मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के अंतर्गत अंध मूक बधिर शालाओं को अनुदान हेतु राशि रुपये 921.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,21,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के अंतर्गत कन्या अभिभावक पेंशन योजना हेतु राशि रुपये 384.30 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,84,30,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय मिशन को आर्थिक सहायता योजना हेतु राशि रुपये 4500.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 45,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के अंतर्गत केन्द्र क्षेत्रीय योजना निःशक्तजनों के लिये बाधारहित वातावरण हेतु राशि रुपये 139.43 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,39,43,200 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	37
मुख्य शीर्ष	5452

मद क्रमांक 1

पर्यटन अधोसंरचना का निर्माण (केन्द्रांश) योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा उक्त योजना बंद हो जाने के कारण अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने हेतु राशि रुपये 75.60 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 75,60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	38
मुख्य शीर्ष	2210

मद क्रमांक 1 - 13

राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत स्टेट वार्षिक एक्शन प्लान योजना के तहत संविदा वेतन, फर्नीचर, प्रशिक्षण, परिवहन, लघु निर्माण कार्य, औषधियों, विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार, मशीन संयंत्र, अन्य प्रभार एवं विविध कार्य हेतु 75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश के रूप में व्यय किया जाना है। इस हेतु राशि रुपये 30,26,88,500 का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 30,26,88,500 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	4210
-------------	------

मद क्रमांक 14

राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत आयुष महाविद्यालय के वृहद निर्माण कार्य हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश के रूप में व्यय किया जाना है। इस हेतु राशि रुपये 387.88 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,87,88,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	39
मुख्य शीर्ष	2408

मद क्रमांक 1

खाद्य विभाग के अंतर्गत केन्द्र क्षेत्रीय योजना उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ के कार्यालय फर्नीचर मद हेतु राशि रुपये 73,09,500 की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 73,09,500 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

खाद्य विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता योजना में पुरस्कार योजना हेतु राशि रुपये 12.75 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,75,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित योजना म.प्र. नागरिक आपूर्ति निगम खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 4200.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 42,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 20000.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4408

मद क्रमांक 5

खाद्य विभाग के अंतर्गत केन्द्र क्षेत्रीय योजना उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ के भवन निर्माण मद हेतु राशि रुपये 420.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 41

मुख्य शीर्ष 2203

मद क्रमांक 1

भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय की केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत प्रदेश में कम्युनिटी डेवलपमेंट थू पोलिटेकनिक योजना के तहत पोलिटेकनिक महाविद्यालयों के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवक एवं युवतियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये प्रशिक्षण हेतु भारत सरकार से आदिवासी क्षेत्र उपयोगिता अंतर्गत रुपये 1.35 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,35,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

विश्व बैंक पोषित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत इंजीनियरिंग महाविद्यालय को अनुदान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगिता में रुपये 22.50 लाख केन्द्रांश एवं रुपये 7.50 लाख राज्यांश के रूप में कुल रुपये 30.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 3 - 4

भारत सरकार आयुष मंत्रालय की केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत प्रदेश में राष्ट्रीय मिशन आफ आयुष मेडिसनल प्लांट मिशन योजना में औषधालयों के लघु निर्माण कार्य एवं शिविर संचालन हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगिता अंतर्गत रुपये 1,08,95,700/- केन्द्रांश एवं रुपये 36,31,900/- राज्यांश के रूप में कुल रुपये 1,45,27,600/- की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,45,27,600/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 5

भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं 1995 के तहत दी जाने वाली राहत राशियों की दरों में वृद्धि की गई है। केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोगिता अंतर्गत 50 प्रतिशत रुपये 250.00 लाख केन्द्रांश के रूप में एवं 50 प्रतिशत रुपये 250.00 लाख राज्यांश के रूप में कुल रुपये 500.00 लाख की प्रावधानित राशि के अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6 - 31

आदिवासी संस्कृति का संवर्धन, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विकास योजना को केन्द्र क्षेत्रीय योजना में प्रवर्तित कर भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा रुपये 78.75 लाख की राशि तृतीय किश्त के रूप में निर्गमित की गई है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत रुपये 78.75 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 78,75,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 32

दीनदयाल अंत्योदय मिशन योजना अंतर्गत वर्ष के आगामी माहो में सामूहिक विवाह संपन्न करवाये जाने हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रु. 2500.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 33

भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अंतर्गत सिपडा कार्यक्रम के तहत निःशक्त जनो के लिये बाधारहित वातावरण हेतु रुपये 42.05 लाख की स्वीकृति प्रदान की है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 42.05 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 42,05,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 34

कन्या अभिभावक पेंशन योजना अंतर्गत ऐसे दंपति जिनकी केवल दो बेटियां हैं उन्हें सामाजिक सुरक्षा सहायता उलब्ध कराने के उद्देश्य से पात्र हितग्राही को प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जा रही है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 199.33 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,99,33,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 35

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों के मान से पेंशन राशि के भुगतान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 271.33 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,71,33,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 36

राष्ट्रीय फसल बीमा योजना अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं में हुये नुकसान दावों के भुगतान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 50.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2408

मद क्रमांक 37

अनुसूचित जनजाति वर्ग के 35 लाख परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केरोसीन सही मात्रा में प्राप्त कराने एवं केरोसीन का संधारण सही पात्र में कराने के उद्देश्य से अनुसूचित जनजाति के पात्र परिवारों को 5 लीटर की कुप्पी उपलब्ध कराई जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में रुपये 8,49,99,000/- की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,49,99,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2425

मद क्रमांक 38

प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों के अल्पावधि फसल ऋण को मध्यावधि ऋण में परिवर्तित किये जाने पर ब्याज अनुदान की किश्त आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 755.87 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,55,87,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 39

चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा के निर्माण कार्य हेतु खण्डवा में पी.आई.यू. के माध्यम से कार्य कराये जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत राशि रुपये 10.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 40

चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में अस्पताल निर्माण कार्य कराया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत राशि रुपये 5.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4515

मद क्रमांक 41

आदिवासी क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों के लिये म.प्र. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र उपयोगना में इस वित्तीय वर्ष में गत वर्ष की व्ययगत राशि रुपये 316.85 लाख का व्यय संभव है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत रुपये 316.85 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,16,85,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4701

मद क्रमांक 42

आदिवासी क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्र बढ़ाने एवं आदिवासी वर्ग के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुरकी मध्यम परियोजना जिला डिण्डोरी लागत रु. 5952.62 लाख से नर्माण किया जाना प्रस्तावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतो से की जानेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 43

आदिवासी क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्र बढ़ाने एवं आदिवासी वर्ग के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परकुल मध्यम परियोजना जिला सागर लागत रु. 11496.00 लाख से नर्माण किया जाना प्रस्तावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतो से की जानेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4702

मद क्रमांक 44

आदिवासी क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्र बढ़ाने एवं आदिवासी वर्ग के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्नांकित योजनाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

क्र. जिला विकास खण्ड कार्य का नाम लागत(रु. लाख में)

1.	धार	सरदारपुर	चुनार तालाब	2582.92
2.	झाबुआ	थांदला	रामपुरा बैराज	1522.97
3.	झाबुआ	थांदला	अम्बापाडा तालाब	1870.18
4.	रतलाम	रतलाम	केशरियाकुण्ड तालाब	582.30
5.	झाबुआ	झाबुआ	भामरदा बैराज	582.69
6.	झाबुआ	झाबुआ	कालीपुरा बैराज	682.76
7.	झाबुआ	झाबुआ	नरवलिया बैराज	833.60
8.	झाबुआ	झाबुआ	सलारपाड़ा बैराज	612.46
9.	धार	सरदारपुर	इंदिया तालाब	660.93
10.	झाबुआ	झाबुआ	धामन्दा तालाब	328.86
11.	धार	सरदारपुर	अम्बेडी तालाब	359.60
12.	उमरिया	करकेली	धनवाही डायवर्शन योजना	2447.60
13.	झाबुआ	झाबुआ	देवीगढ़ बैराज	398.81
14.	झाबुआ	झाबुआ	झापरदा बैराज	226.11
15.	झाबुआ	झाबुआ	लिंगवा बैराज	325.23
16.	झाबुआ	झाबुआ	थान बैराज	331.28
17.	बड़वानी	सेंधवा	नकटीरानी बैराज	391.28
18.	बड़वानी	सेंधवा	पिसनावल बैराज	406.99
19.	बड़वानी	सेंधवा	गोई बैराज	372.30
20.	झाबुआ	झाबुआ	डमेरा पटेलफालिया बैराज	372.10
21.	अलिराजपुर	जोबट	बलादमुग बैराज	568.85
22.	अलिराजपुर	जोबट	चमारबेगड़ा बैराज	425.42
23.	अलिराजपुर	भाभरा	दलवानी बैराज	882.97
24.	अलिराजपुर	कस्थीवाड़ा	हिरन बैराज	573.60
25.	अलिराजपुर	जोबट	बड़ागुड़ा बैराज	196.90
26.	अलिराजपुर	कस्थीवाड़ा	चंदनपुरा बैराज	214.86
27.	अलिराजपुर	जोबट	मयावत बैराज	360.03
28.	अलिराजपुर	कस्थीवाड़ा	सोमनीयावत बैराज	271.50
29.	बड़वानी	सेंधवा	थिंगली बैराज	381.41
30.	झाबुआ	रानापुर	बल्दीमल बैराज	353.43
31.	झाबुआ	मेघनगर	किकलबेरी बैराज	551.95
32.	झाबुआ	थांदला	रून्डीपाड़ा बैराज	514.63
33.	अलिराजपुर	उदयगढ़	टेमची बैराज	435.14
34.	झाबुआ	थांदला	भेरूपाड़ा टैंक	826.15
35.	झाबुआ	थांदला	रतनपाड़ा बैराज	743.54
36.	झाबुआ	थांदला	कोसदुना बैराज	314.08
37.	अलिराजपुर	सेंधवा	भोरदिया बैराज	196.16
38.	अलिराजपुर	उदयगढ़	अम्बीनाला तालाब	253.54
39.	अलिराजपुर	कस्थीवाड़ा	झारकाली तालाब	671.50
40.	झाबुआ	झाबुआ	गवली बैराज	1088.28
41.	झाबुआ	झाबुआ	रंगपुर बैराज	1063.36
42.	शहडोल	जयसिंहनगर	टेटका तालाब	1195.69
43.	शहडोल	जयसिंहनगर	गांधिया तालाब	1549.66
44.	डिण्डोरी	शाहपुरा	सरसडोली तालाब	3719.73

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 45

आदिवासी क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्र बढ़ाने एवं आदिवासी वर्ग के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्नांकित लघु सिंचाई योजनाओं के सुधार, सुदृढीकरण, पुर्नस्थापना (आर.आर.आर.) के तहत निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

(रु. लाख में)

क्र.	जिला	विकास खण्ड	कार्य का नाम	लागत
1.	धार	सरदारपुर	फुलेडी तालाब	116.33
2.	जबलपुर	कुंडम	खिन्ना तालाब	241.45
3.	बडवानी	ठीकारी	सेगवाल तालाब	398.16
4.	बालाघाट	कटंगी	नहलसर्गा तालाब	1186.55
5.	बालाघाट	कटंगी	जमूनिया तालाब	710.11
6.	छिन्दवाडा	सौसर	वाग्यानाला तालाब	454.62
7.	खरगौन	महेश्वर	गगन तालाब	344.88

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 42
मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 1

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित स्थानों पर पुल का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु रुपये 100/- का अग्रिम राज्य की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया गया है।

(राशि लाख में)

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लागत
1.	कटनी	बरन महागांव सुतरी खरहटा मार्ग में उमरार नदी पर उच्चस्तरीय पुल	504.14

उपरोक्त निर्माण कार्यों पर आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति सहित रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

आदिवासी क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्नांकित मार्गों का निर्माण / उन्नयन कार्य कराया जाना है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

जिला	कार्य का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	लागत (लाख में)
1.	अनूपपुर	चिरमिरी पेण्डा मार्ग का उन्नयन	2156.86
2.	शहडोल	बुढ़ार हरदी कठौतिया मार्ग	1858.36

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 200/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित स्थानों पर म.प्र. सड़क विकास निगम के माध्यम से सड़कों / पुलों का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु रुपये 300/- का अग्रिम राज्य की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया गया है।

(राशि लाख में)

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लागत
1.	डिण्डोरी	जबलपुर अमरकण्टक मार्ग के कि.मी. 145/4 पर कुतरेल नदी पर पुल निर्माण	558.49
2.	डिण्डोरी	जबलपुर अमरकण्टक मार्ग के कि.मी. 154/4 पर गोमती नदी पर पुल निर्माण	576.64
3.	डिण्डोरी	जबलपुर अमरकण्टक मार्ग के कि.मी. 172/8 पर चकरार नदी पर पुल निर्माण	829.16

उपरोक्त निर्माण कार्यों पर आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति सहित रुपये 300/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित स्थानों पर एन.आई.डी.ए. से प्राप्त ऋण से सड़कों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु रुपये 100/- का अग्रिम राज्य की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया गया है।

(राशि लाख में)

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लागत
1.	कटनी	बिछिया समनापुर डिण्डोरी मार्ग (मुख्य जिला मार्ग) सड़क कार्य	4173.90

उपरोक्त निर्माण कार्यों पर आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति सहित रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित स्थानों पर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़को सहित) योजना अंतर्गत निम्नांकित मार्गों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु रुपये 400/- का अग्रिम राज्य की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया गया है।

(राशि लाख में)

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लंबाई	लागत
1.	दतिया	चीना दिगुवां मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग का पुनिर्माण	4.40	118.42
2.	धार, झाबुआ	एन. एच. 59 सड़क के ग्रामीण-शहरी भागो का उन्नयन	20.82	3686.17
3.	झाबुआ	इंदौर, अहमदाबाद मार्ग एन. एच. 59 को फोरलेन निर्माण के दौरान छुटा हुआ भाग	9.62	1936.96
4.	इंदौर, धार	एन. एच. 3 सड़क के ग्रामीण-शहरी भागो का उन्नयन	29.36	3332.86
		बड़वानी, खरगोन		
5.	रतलाम	रतलाम बाजना मार्ग	48.51	9780.62

उपरोक्त निर्माण कार्यों पर आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति सहित रुपये 500/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित स्थानों पर ग्रामीण सड़को का निर्माण (नाबार्ड) योजना अंतर्गत निम्नांकित मार्गों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु रुपये 300/- का अग्रिम राज्य की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया गया है।

(राशि लाख में)

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लंबाई	लागत
1.	बैतुल	शांतिपुर से दुर्गापुर मार्ग	3.00	221.91
2.	झाबुआ	एस. एच. 39 से महर्षि स्कूल झाबुआ पहुँच मार्ग	1.88	401.56
3.	झाबुआ	डुमपाड़ा कालापिपल नल्दी मार्ग	4.58	394.77
4.	झाबुआ	खेरमाल समोई जुनागांव देवलफलिया मार्ग	6.75	442.50
5.	झाबुआ	टिकडी जोगी से साजेडी व्हाया पिपलीपाड़ा मार्ग	9.62	843.88
6.	अलीराजपुर	चिकली सालखेड़ा से खेडी भीमपुरा मार्ग	8.80	531.60
7.	अलीराजपुर	उमरी नेहतड़ा मार्ग	1.50	88.98
8.	अलीराजपुर	खट्टाली डाडिया फलिया मार्ग	6.00	323.43
9.	अलीराजपुर	खट्टाली डाबडी फलिया मार्ग	2.00	114.22
10.	अलीराजपुर	उण्डारी उत्ती मार्ग	2.00	114.40
11.	अलीराजपुर	सिंधी से भानुपुरा मार्ग	1.40	80.43
12.	अलीराजपुर	देहदला चमारबेगड़ा मार्ग	2.45	131.66
13.	अलीराजपुर	ओझड़ थोड़िसिंधी मार्ग	6.70	511.44
14.	अलीराजपुर	ओझड़ मोराजी मार्ग	3.70	250.87
15.	अलीराजपुर	सोलिया से बोकडीया फलिया मार्ग	4.60	316.89
16.	अलीराजपुर	उण्डवा काठी खण्डाला मार्ग	5.50	447.34
17.	झाबुआ	एस एच 18 मुख्यमार्ग से ग्राम खोरिया मार्ग	2.10	131.59
18.	झाबुआ	प्रशांत प्रिंस मार्ग (बामनिया से नेरला) सीसी मार्ग	0.78	99.68
19.	झाबुआ	हमीरगढ़ से मोच्याघाटी मार्ग	3.55	283.09
20.	झाबुआ	नाहरपुरा असालिया मिडिल स्कूल से अमरगढ़ मार्ग	5.35	423.38
21.	झाबुआ	मठमढ़ से देवगढ़ हनुमंतिया मार्ग	5.90	478.12
22.	झाबुआ	गुणावद से बलियापाडा धावडिया मार्ग	6.50	407.87

उपरोक्त निर्माण कार्यों पर आदिवासी क्षेत्रे उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति सहित रुपये 2200/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 44
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

विश्व बैंक परियोजना मध्यप्रदेश हायर एजुकेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु राशि रुपये 50.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 2 - 3

नव स्थापित राजाभोज शासकीय महाविद्यालय, मंडीदीप के भवन अधिग्रहण हेतु औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल को राशि रुपये 499.45 लाख का भुगतान किया जाना है। इस हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है तथा निक्षेप योजना के अंतर्गत 16 शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण तथा 11 कन्या छात्रावास के भवनों का निर्माण म.प्र. हाउसिंग बोर्ड एवं अधोसंरचना विकास मंडल भोपाल द्वारा कराये जाने हेतु राशि रुपये 35.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान एवं रुपये 35,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 45
मुख्य शीर्ष 2702

मद क्रमांक 1

लघु सिंचाई निर्माण कार्यों हेतु रुपये 500.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4702

मद क्रमांक 2

गैर आदिवासी क्षेत्र की निम्नांकित सिंचाई योजनाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। जिसकी अनुमानित लागत रुपये 15048.28 लाख है।

क्र.	जिला	योजना का नाम	लागत (लाख में)	सिंचाई क्षमता (हे. में)	अनुदान राशि (रुपये में)
1.	सतना	बेसुनी नदी पर कुकराघाट वियर	136.62	0.00	100
2.	दतिया	सेमरिया नहर परियोजना	735.23	1250	100
3.	मंदसौर	नागखजूरी मेरियाखेड़ी सालिड पिकअप वियर	1195.61	1560	100
4.	बुरहानपुर	दैयत काजवे कम बैराज	1516.98	850	100
5.	बुरहानपुर	देशघाट काजवे कम बैराज	1497.42	900	100
6.	मंदसौर	सोनगरा पिट्ट्याखेड़ी सालिड वियर	411.30	658	100
7.	बरोद	दोधार वियर स्टापडेम	439.95	340	100
8.	बुरहानपुर	फोपनार खुर्द बैराज	540.10	440	100
9.	उज्जैन	चिचोरिया तालाब	618.53	490	100
10.	शाजापुर	भानदेडी स्टापडेम	398.85	350	100
11.	आगर	सिरपुतपुरा वियर	249.71	300	100
12.	बुरहानपुर	जसौन्दी बैराज	489.31	300	100
13.	बुरहानपुर	कालुशाह बैराज	384.26	231	100
14.	बुरहानपुर	कोदरी बैराज	275.55	170	100
15.	बुरहानपुर	तारापति बैराज	381.47	235	100
16.	देवास	मउ बैराज	160.26	150	100
17.	शाजापुर	कराडिया टिन्नाजपुर बैराज	437.45	300	100
18.	रतलाम	कुन्दल बैराज	417.90	245	100
19.	इंदौर	मण्डलावाड स्टापडेम कम बैराज	815.24	475	100
20.	देवास	चान्दकखेड़ी बैराज	173.06	160	100
21.	इंदौर	लोटियानाला तालाब	294.64	125	100
22.	रतलाम	बटवारिया बैराज	1027.40	640	100
23.	रतलाम	बारेखेड़ी बैराज	1019.04	720	100
24.	धार	दुमला बाध	1432.40	600	100

योग 15048.28 2400

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

सुधार, नवीनीकरण, पुनरुद्धार (आर.आर.आर.) अंतर्गत निम्नानुसार सिंचाई योजनाओं का क्रियान्वयन राशि रुपये 2205.82 लाख से किया जाना प्रस्तावित है।

क्र.	जिला	योजना का नाम	लागत	सिंचाई क्षमता	अनुदान राशि
------	------	--------------	------	---------------	-------------

(लाख में) (हे. में) (रुपये में)

1.	दमोह	माला तालाब	671.19	1995	100
2.	धार	खिन्ना तालाब	241.45	138	100
3.	सीधी	बिसेन्धा तालाब	323.87	674	100
4.	बुरहानपुर	निम्ब तालाब	136.33	445	100
5.	देवास	पारस तालाब	144.05	1040	100
6.	उज्जैन	अन्तलवासा तालाब	329.44	1057	100
7.	अनुपपुर	झोलिया तालाब	359.49	940	100
योग			2205.82	700	

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 700 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

ए.आई.बी.पी. सिंचाई परियोजना अंतर्गत रुपये 75.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 75,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 47
मुख्य शीर्ष 2203

मद क्रमांक 1

भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत कम्युनिटी डेव्हलपमेंट थ्रू पोलिटेकनिक योजना अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त सहायता राशि रुपये 13.95 लाख का प्रावधान शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,95,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 2

कौशल विकास अंतर्गत जिला स्तर पर आदर्श आई.टी.आई. की स्थापना योजना में प्रचलित निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 459.23 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,59,23,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 48
मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 1

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत प्रचलित कार्यों हेतु रुपये 740.64 लाख का अतिरिक्त व्यय आवश्यक है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 7,40,64,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 50
मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 1

उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित योजना राष्ट्रीय औषधीय पौधा मिशन हेतु राशि रुपये 164.225 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,64,22,500 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत उद्योग संवर्धन नीति अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास की योजना हेतु राशि रुपये 1480.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 14,80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु राशि रुपये 3146.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 31,46,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	52
मुख्य शीर्ष	2235

मद क्रमांक 1

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों के मान से पेंशन राशि के भुगतान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 3599.33 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 35,99,33,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	53
मुख्य शीर्ष	2217

मद क्रमांक 1

केन्द्र प्रवर्तित अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति उपयोजना में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि तथा राज्यांश के रूप में व्यय होने वाली राशि बजट में उपलब्ध बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	55
मुख्य शीर्ष	2235

मद क्रमांक 1 - 3

एकीकृत बाल विकास सेवा केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक, अन्य एवं अन्य प्रभार में कुल राशि रुपये 7539.32 लाख (केन्द्रांश रुपये 66,52,96,700 एवं राज्यांश रुपये 8,86,35,300) का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 75,39,32,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4 - 11

महिला हेल्प लाईन-181 अंतर्गत संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक, डाक एवं तार व्यय, दूरभाष, बिजली एवं जल प्रभार, लेखन सामग्री एवं फार्म, अन्य आकस्मिक व्यय, किराया महसूल एवं अन्य मदों को स्थापित कर प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 800 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

भारत सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित स्वाधार योजना एवं अल्पकालीन आवास गृह योजना का विलय किया जाकर नवीन योजना स्वाधार गृह के नाम 1 अप्रैल 2015 से लागू की गई है। उक्त योजना हेतु भारत सरकार द्वारा शतप्रतिशत राशि अनुदान के रूप में राज्य शासन को प्राप्त होगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13 - 19

वन स्टाप सेंटर (सखी) केन्द्र क्षेत्रीय योजना अंतर्गत संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक, डाक एवं तार व्यय, दूरभाष व्यय, बिजली एवं जल प्रभार,

लेखन सामग्री एवं फार्म, अन्य एवं अन्य प्रभार मद स्थापित कर कुल राशि रुपये 8.19 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,19,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	57
मुख्य शीर्ष	4700

मद क्रमांक 1 - 5

म.प्र. वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना अंतर्गत वेतन भत्ते आदि में रुपये 4.33 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,33,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

म.प्र. वाटर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 6.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 6,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	60
मुख्य शीर्ष	2515

मद क्रमांक 1

विधायक स्वेच्छा अनुदान निधि से आर्थिक सहायता अंतर्गत राशि रुपये 80,75,000 की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 80,75,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	4515
-------------	------

मद क्रमांक 2

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत राशि रुपये 24,17,03,000 की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 24,17,03,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	61
मुख्य शीर्ष	4700

मद क्रमांक 1

पंचम नगर परियोजना अंतर्गत रुपये 20.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	64
मुख्य शीर्ष	2203

मद क्रमांक 1

भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय की केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत प्रदेश में कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रू पोलिटेकनिक योजना के तहत पोलिटेकनिक महाविद्यालयों के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवक एवं युवतियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये प्रशिक्षण हेतु भारत सरकार से अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत रुपये 34.43 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 34,43,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

विश्व बैंक पोषित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत इंजीनियरिंग महाविद्यालय को अनुदान हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना में रुपये 45.00 लाख केन्द्रांश एवं रुपये 15.00 लाख राज्यांश के रूप में कुल रुपये 60.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 60,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

भारत सरकार आयुष मंत्रालय की केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत प्रदेश में राष्ट्रीय मिशन आफ आयुष मेडिसिनल प्लांट मिशन योजना में औषधालयों के लघु निर्माण कार्य हेतु अनुसूचित जाति उपयोगना अंतर्गत रुपये 2,04,52,400/- केन्द्रांश एवं रुपये 68,17,500/- राज्यांश के रूप में कुल रुपये 2,72,69,900/- की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,72,69,900/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4 - 5

भारत सरकार आयुष मंत्रालय की केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत प्रदेश में राष्ट्रीय मिशन आफ आयुष मेडिसिनल प्लांट मिशन योजना में औषधालयों के लघु निर्माण कार्य एवं पी. एम. यू. हेतु अनुसूचित जाति उपयोगना अंतर्गत रुपये 43,25,100/- केन्द्रांश एवं रुपये 14,41,700/- राज्यांश के रूप में कुल रुपये 57,66,800/- की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 57,66,800/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

शिक्षित युवकों को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण एवं अधोसंरचना निर्माण हेतु अनुदान योजना का क्रियान्वयन प्रदेश में भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत प्राप्त राशि से किया जाता है। भारत सरकार द्वारा निर्गमित राशि की पूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 300.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत चयनित किए ग्रामों हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत रुपये 38.85 करोड़ की राशि निर्गमित की गई है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 3885.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 38,85,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित योजना नागरिक अधिकार संरक्षण प्रकोष्ठ अंतर्गत अत्याचार से घटित क्षेत्रों का भ्रमण राहत राशि की समीक्षा सम्पूर्ण प्रदेश में सतत रूप से किये जाने हेतु 15 वाहन क्रय किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोगना में रुपये 48.75 लाख केन्द्रांश एवं रुपये 48.75 लाख राज्यांश के रूप में कुल रुपये 97.50 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 97,50,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

सामाजिक न्याय के अंतर्गत बहुविकलांग निःशक्त व्यक्तियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुसूचित जाति उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 50.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

दीनदयाल अंत्योदय मिशन योजना अंतर्गत वर्ष के आगामी माहों में सामूहिक विवाह संपन्न करवाये जाने हेतु अनुसूचित जाति उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 887.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,87,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

कन्या अभिभावक पेंशन योजना अंतर्गत ऐसे दंपति जिनकी केवल दो बेटियां हैं उन्हें सामाजिक सुरक्षा सहायता उलब्ध कराने के उद्देश्य से पात हितग्राही को प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जा रही है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 185.07 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,85,07,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों के मान से पेंशन राशि के भुगतान हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 649.10 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,49,10,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 13

राष्ट्रीय फसल बीमा योजना अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं में हुये नुकसान दावों के भुगतान हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 50.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2425

मद क्रमांक 14

प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों के अल्पावधि फसल ऋण को मध्यावधि ऋण में परिवर्तित किये जाने पर ब्याज अनुदान की किश्त अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 274.87 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,74,87,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4515

मद क्रमांक 15

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों के लिये म.प्र. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति उपयोजना में इस वित्तीय वर्ष में गत वर्ष की व्यय राशि रुपये 544.63 लाख का व्यय संभव है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत रुपये 544.63 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,44,63,800/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 16

प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित स्थानों पर पुल का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु रुपये 200/- का अग्रिम राज्य की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया गया है।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	(राशि लाख में)
			लागत
1.	सिंगरौली	सिंगरौली जिले के चाचर से कल्हुई (कुल्हनिया) मार्ग में म्यार नदी पर जलमग्रीय पुल का निर्माण	737.84
2.	सिंगरौली	सिंगरौली जिले के गन्नई तिनगुडी वाया खाडीपारों मार्ग के किमी. 3/6 में सुकाढ़ (म्यार) नदी पर पुल एवं पहुँच मार्ग का निर्माण	187.92

उपरोक्त निर्माण कार्यों पर अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति सहित रुपये 200/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 17

प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित स्थानों पर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़को सहित) योजना अंतर्गत मार्गों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु रुपये 700/- का अग्रिम राज्य की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया गया है।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	(राशि लाख में)	
			लंबाई	लागत
1.	सागर	गिदवानी से मोहली मार्ग	2.00	186.95
2.	सागर	बैंदवारा सोनपुर से परका मार्ग	4.20	273.17
3.	छतरपुर	अलीपुरा से गरौली मार्ग	11.38	936.61
4.	दमोह	केरबना बम्होरी मार्ग	12.60	979.22
5.	शाजापुर	सेमली से सिमरोल व्हाया झुणडाखेड़ा बोरसली जोड़ मार्ग	10.22	847.93
6.	मुरैना	नूराबाद टेकरी बिचोला रिठौरा मार्ग		3980.61
7.	दतिया	उनाव कामद मार्ग	7.90	1186.68

उपरोक्त निर्माण कार्यों पर अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति सहित रुपये 700/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 18

प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित स्थानों पर ग्रामीण सड़को का निर्माण (नाबार्ड) योजना अंतर्गत कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु रुपये 500/- का अग्रिम राज्य की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया गया है।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	(राशि लाख में)	
			लंबाई	लागत
1.	राजगढ़	रामगढ़ से कचनारिया मार्ग	8.00	502.26
2.	छतरपुर	टपरालबर से पतरा क्योटा मार्ग	5.50	398.42
3.	छतरपुर	चंदोरा से टूडर मार्ग	5.17	384.47
4.	नीमच	नीमच से छोटी सादड़ी मार्ग	3.64	793.85
5.	सतना	कोठी उदयनगर मनकहरी मार्ग	4.00	313.77

उपरोक्त निर्माण कार्यों पर अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति सहित रुपये 500/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 66
मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 1

वित्तीय वर्ष 2015-16 में पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में शेष विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति भुगतान हेतु राशि रुपये 269.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,69,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4225

मद क्रमांक 2

जिला स्तरीय बालक छात्रावासों का भवन निर्माण योजना अंतर्गत राशि रुपये 426.95 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,26,95,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 67

मुख्य शीर्ष 2059

मद क्रमांक 1

शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय मद अंतर्गत कार्यों को पूर्ण करने हेतु रुपये 2.50 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

न्यायालयीन निर्णय के परिप्रेक्ष्य में डिक्रीधन के भुगतान हेतु रुपये 92,06,100 का व्यय आवश्यक है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 92,06,100 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या 68

मुख्य शीर्ष 2217

मद क्रमांक 1

केन्द्र प्रवर्तित अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन योजना अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि तथा राज्यांश के रूप में व्यय होने वाली राशि बजट में उपलब्ध बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 71

मुख्य शीर्ष 2217

मद क्रमांक 1 - 8

सिंहस्थ मेले की व्यवस्था के लिये यात्रा भत्ता, दूरभाष व्यय, नवीन वाहन का क्रय, प्रशिक्षण, अनुदान, अन्य प्रभार एवं उपकरण हेतु राशि रुपये 500.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4217

मद क्रमांक 9

सिंहस्थ मेले की व्यवस्था के लिये वृहद निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 300.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 73

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1

चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालयों में वेतन भत्ते एवं मानदेय इत्यादि हेतु राशि रुपये 11.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2 - 4

चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालयों में संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक हेतु रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान तथा माननीय न्यायालय

द्वारा कर्मचारियों को ब्याज दिये जाने हेतु डिक्लीधन में राशि हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान एवं वेतन भत्ते एवं मानदेय इत्यादि हेतु राशि रुपये 31.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक विनियोग तथा रुपये 31,00,00,100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 74
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

लोक शिक्षण अंतर्गत अध्यापक संवर्ग के वेतन अनुदान के माध्यम से योजना क्रियान्वयन हेतु राशि रुपये 3,78,00,56,000 की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,78,00,56,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2015-16 में विभागीय अध्यापक, सहायक अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापकों के अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत अंशदान तथा शासकीय अंशदान राशि का प्रतिमाह भुगतान किये जाने हेतु राशि रुपये 100.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

लोक शिक्षण अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा अध्यापक संवर्ग के वेतन भत्तों के भुगतान हेतु राशि रुपये 267.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,67,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2216

मद क्रमांक 4

ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित इंदिरा आवास योजना हेतु राशि रुपये 309.98 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,09,98,47,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 5

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना हेतु राशि रुपये 5712.23 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 57,12,23,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 6

पंचायत विभाग के अंतर्गत 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु राशि रुपये 73180.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,31,80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 75
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

नगरीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2015-16 में विभागीय अध्यापक, सहायक अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापकों के अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत अध्यापकों का अंशदान तथा शासकीय अंशदान की राशि का भुगतान किये जाने हेतु राशि रुपये 6.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

नगरीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2015-16 में विभागीय अध्यापक, सहायक अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापकों के अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत अध्यापकों का अंशदान तथा शासकीय अंशदान की राशि का भुगतान किये जाने हेतु राशि रुपये 5.22 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,22,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

नगरीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2015-16 में विभागीय अध्यापक, सहायक अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापकों के अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत अध्यापकों का अंशदान तथा शासकीय अंशदान की राशि का भुगतान किये जाने हेतु राशि रुपये 4.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

नगरीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2015-16 में विभागीय अध्यापक, सहायक अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापकों के अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत अध्यापकों का अंशदान तथा शासकीय अंशदान की राशि का भुगतान किये जाने हेतु राशि रुपये 7.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

नगरीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2015-16 में विभागीय अध्यापक, सहायक अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापकों के अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत अध्यापकों का अंशदान तथा शासकीय अंशदान की राशि का भुगतान किये जाने हेतु राशि रुपये 30.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

नगरीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2015-16 में विभागीय अध्यापक, सहायक अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापकों के अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत अध्यापकों का अंशदान तथा शासकीय अंशदान की राशि का भुगतान किये जाने हेतु राशि रुपये 8.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2217

मद क्रमांक 7,10,12

14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अंतर्गत नगरीय निकायों को सामान्य अनुदान के लिये (191) में राशि रुपये 12319.30 लाख (192) में रुपये 7492.16 लाख एवं (193) में 5188.54 लाख कुल राशि रुपये 25000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8,11,13

14वें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार सामान्य अनुपालन अनुदान के अंतर्गत (191) में रुपये 100 (192) में रुपये 100 एवं (193) में रुपये 100 कुल राशि रुपये 300 के प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

मुख्य मंत्री शहरी अधोसंरचना एवं पेयजल योजनाओं हेतु हुण्डकों से लिये गये ऋण /ब्याज का पुनर्भुगतान योजना अंतर्गत राशि रुपये 40.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 14

हाउसिंग फॉर ऑल योजना अंतर्गत अनुदान हेतु राशि रुपये 25.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 15-17

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना हेतु राशि रुपये 2440.96 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 24,40,96,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3604

मद क्रमांक 18

पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार का नगरीय निकायों को हस्तांतरण अंतर्गत राशि रुपये 10.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।